प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.07.2026

थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28.07.2026 को थाना भोजपुर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी के भाई के गोली मारकर हत्या का प्रयास करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल सुसंगत धारा-109(1)बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30.07.2026 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अनुज पुत्र जयपाल निवासी ग्रीन सिटी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र भोजपुर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक लाइसेन्सी रिवाल्वर 32 बोर, 01 खोखा कारतूस, 04 जिन्दा कारतूस 7.62 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुए। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा- 25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि दिनांक 27.07.2026 को पंकज शर्मा से जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गयी थी जिसमें मैंने रिवाल्वर से गोली मार दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अनुज पुत्र जयपाल निवासी ग्रीन सिटी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 45 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.07.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीरी सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के दोनों कान के कुण्डल व अंगूठी सोने की व एक अंगूठी चाँदी की गायब कर लिये

गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा -318(4)/303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 30/07/2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1. वाजिद पुत्र आसम निवासी झुग्गी न0 57, अबु बकर मस्जिद के पास कलन्दर कॉलोनी थाना भलस्वा डेरी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष 2. दिल शेर पुत्र अली हसन निवासी चाँदमारी झुग्गी झोपड़ी, सै0 11 विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 3. इमरान पुत्र रकम शाह निवासी झुग्गी न0 141 सार्वजनिक शौचालय के पास कलन्दर कॉलोनी थाना भलस्वा डेरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से टप्पेबाजी की घटना से संबंधित से 3080/- रुपये बरामद हुये। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा - 317(2)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम महिलाओं को अपनी बातो में फंसाकर टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दे देते है तथा इस काम को हम पांच लोग करते हैं। अन्य दो व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी कि गयी तो पकडे गये तीनों व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उस दिन हमारे साथ गुल हसन व अफजल भी थे। कुछ दिन पहले हम पाँचों जौहरी एन्कलेव मैट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक महिला जाती हुई दिखायी दी थी उस महिला को हमने अपनी बातो में लेकर टप्पेबाजी की घटना कारित की थी तथा उसके बाद टप्पेबाजी की घटना में मिले सामान को राह चलते व्यक्तियों को बेच कर मिले पैसों को आपस में बाँट लिया था। हमारे पास से मिले रूपये उसी टप्पेबाजी के सामान को बेचकर के बंटवारे में मिले रुपयों में से है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.वाजिद पुत्र आसम निवासी झुग्गी न0 57, अबु बकर मस्जिद के पास कलन्दर कॉलोनी थाना भलस्वा डेरी दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष।

2. दिल शेर पुत्र अली हसन निवासी चाँदमारी झुग्गी झोपड़ी , सै0 11 विजय नगर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

3. इमरान पुत्र रकम शाह निवासी झुग्गी न0 141 सार्वजनिक शौचालय के पास कलन्दर कॉलोनी थाना भलस्वा डेरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का विवरण

1.गुल हसन पुत्र परवाना निवासी झुग्गी न0 108 कलन्दर कॉलोनी थाना भलस्वा डेरी दिल्ली।

2.अफजल पुत्र परवाना निवासी झुग्गी न0 108 कलन्दर कॉलोनी थाना भलस्वा डेरी दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

टप्पेबाजी की घटना से संबंधित से 3080/- रुपये बरामद

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 15 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 26.12.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 25.12.2025 को सभापुर अण्डरपास के पास शिवा वाशिंग सेटर में गाडी वॉश कराते समय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से गोलियां चलाकर भाग जाना, जिससे वादी का घायल हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा- 109(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही से उपरोक्त घटना में अभियुक्तगण राजे उर्फ मुन्ना पुत्र भीम, दीपक गैराठी पुत्र ब्रह्मप्रकाश, दीपक अगरोला पुत्र भीम सिंह, संजीत पुत्र ब्रह्म सिंह, आकाश पुत्र लेखराज, मानसिंह राघव, नितिन बैंसला के नाम प्रकाश में आये तथा उपरोक्त अभियोग में धारा- 61(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

तत्पश्चात उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दीपक गैराठी पुत्र ब्रह्मप्रकाश निवासी भोवापुर थाना सेक्टर 65 गुरुग्राम हरियाणा को थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद द्वारा दिनांक 30.12.2025 को पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अभियुक्त संजीत पुत्र ब्रह्म सिंह निवासी ग्राम कनारसी थाना दनकौर जिला गौतमबुद्धनगर को अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा अन्य वांछित अभियुक्त राजे उर्फ मुन्ना पुत्र भीम निवासी ग्राम अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

आज दिनांक 30.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 15 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त नितिन बैंसला पुत्र सतवीर निवासी ग्राम गढ़ी मेंढू थाना उस्मानपुर खजूरी खास दिल्ली को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि संजीत जो कि कनारसी गौतमबुद्धनगर का रहने वाला है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। संजीत और राजे उर्फ मुन्ना भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त है। हम सभी साथ में पहलवानी करते है। दीपक जो की पहले से ही दिल्ली में मण्डौली जेल में बन्द है और राजे उर्फ मुन्ना की मुकुल बंसल से पुरानी रंजीश चल रही थी। राजे उर्फ मुन्ना और दीपक जो की दिल्ली जेल में बन्द है, के कहने पर हम सभी लोगों ने अपने अन्य साथियो के साथ षंडयन्त्र रचकर मुकुल बंसल को मारने के लिए उस पर गोलियां चलायी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नितिन बैंसला पुत्र सतवीर निवासी ग्राम गढ़ी मेंढू थाना उस्मानपुर खजूरी खास दिल्ली, उम्र करीब 26 वर्ष।

वांछित अभियुक्तों का विवरण-

1.आकाश पुत्र लेखराज निवासी कादरपुर थाना सेक्टर 65 गुडगांव

2.मानसिंह राघव निवासी मिरावटी सोहना गुडगाँव

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या के प्रयास का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम

ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा गांजा के अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से करीब 20 किलो 850 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत थाना इन्दिरापुरम के मु0अ0सं0 510/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में वांछित चल रही अभियुक्ता गीता देवी पत्नी रमन सिन्हा वर्तमान पताई ब्लाक फ्रीहोल्ड, संगम विहार, नियर एसबीएस एन स्कूल नंदग्राम थाना नन्दग्राम, कमि0 गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम ढंढेड़ा, लूनी, जोधपुर सिटी पश्चिम, राजस्थान उम्र करीब 40 वर्ष को आज दिनांक 30.07.2026 को चेकिंग के दौरान थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा साहिबाबाद मंडी के सामने नगर निगम पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 20 किलो 850 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि वह ब्लॉक फ्रीहोल्ड, संगम विहार, नियर एस.बी.एस.एन. स्कूल, थाना नन्दग्राम, जनपद गाजियाबाद की निवासी है। अभियुक्ता ने बताया कि वह अवैध रूप से गांजा बेचने का कार्य करती है तथा उससे प्राप्त धनराशि से अपने शौक एवं मौज-मस्ती के खर्च पूरे करती है। अभियुक्ता ने बताया कि वह उक्त गांजा *मुन्ना* नामक व्यक्ति, निवासी बिहार, से खरीदकर लाती है, जो समय-समय पर उसे गांजा उपलब्ध कराता है। आज भी वह उक्त गांजा बेचने के उद्देश्य से जा रही थी, तभी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्ता ने यह भी स्वीकार किया कि वह पूर्व में भी एनडीपीएस अधिनियम के प्रकरण में जेल जा चुकी है। उक्त *मुन्ना* के संबंध में आवश्यक जानकारी संकलित कर उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गीता देवी पत्नी रमन सिन्हा वर्तमान पताई ब्लाक फ्रीहोल्ड, संगम विहार, नियर एसबीएस एन स्कूल, नंदग्राम थाना नन्दग्राम, कमि0 गाजियाबाद स्थायी पता ग्राम ढंढेड़ा, लूनी, जोधपुर सिटी पश्चिम, राजस्थान उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- 20 किलो 850 ग्राम अवैध गांजा।

अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्ता के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 06 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम